में दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

19/11/21 वास्ते प्रार्थना पत्र 19 के वाद अभियुक्त उपस्थित DSO साहब के पक्ष हुई। वादी हेतु उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मु0नं0 128/2016 हम सब भाईयों के पूर्व में सहमति से बंटवारा करा दिया जिसकी मु0नं0 2256 दिनांक 4/6/18 से चुका है। इस मद वादी को किसी प्रकार का बंटवारा नहीं कराना चाहते हैं। निवेदन प्रार्थना पत्र किया गया है। अतः वादी द्वारा पूर्व में दायर किए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाए। प्रार्थना पत्र पर मु0नं0 2256/4/6/18 से डिक्री ग्रुप विभाजन हो चुका है निरस्त किया गया। प्रतिवादी गण 1, 2 का प्रार्थना पत्र अवलोकन किया। प्रतिवादी गण अधिवक्ता का तर्क अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पाया गया कि डिक्री की तुलना में। अतः वादी उपस्थित नहीं है। वाद अधिकार डिक्री में उपलब्ध नहीं है। वादी द्वारा चाही गई दाद वाद पत्र के अनुरूप न्यायालय डिक्री मु0नं0 2256 से पारित हो चुकी है। अब वाद पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः मैं वादी का वाद 3,188 CPA 1908 के विधान के अधीन किया जाता है। वादीगण कोई दाद चाहता है तो न्यायालय में पेश करे। वाद की गणना निर्धारित दिनांक को की जाए। नियम शुल्क आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार की जाए। निर्णय सुनाया।

4-6-18 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा विभाजन हुआ।

(नीता वसीव)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 12:26:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner